



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

(अंतिम एक और अवसर)

क्रमांक एफ 4 () आकाशि/नि.स./2023/

दिनांक:-

सचिव/ प्राचार्य
समस्त निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:- निजी महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2023-24 की सांख्यिकी सूचना अद्यतन करने / ईमेल पर प्रेषित करने की अन्तिम तिथि **07.01.2024** से बढ़ाकर **14.01.2024** करने बाबत।

संदर्भ:- समसंख्यक आदेश क्रमांक 5193875 व 5193603 दिनांक 18.12.2023 एवं आदेश क्रमांक 5252285 दिनांक 01.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश अनुसार सांख्यिकी सूचना अद्यतन/ ईमेल करने की अन्तिम तिथि 07.01.2024 से बढ़ाकर 14.01.2024 की जाती है।

ध्यान रहें उक्त सूचना राज्य के निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नांमाकन को एकजाई कर विभिन्न नीतिगत निर्णयों के लिए अति आवश्यक है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि तक भरना सुनिश्चित करें।

निजी महाविद्यालयों द्वारा सूचना अद्यतन नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को दूरभाष पर सूचित कर सांख्यिकी सूचना भरवाना सुनिश्चित करें।
 2. श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
 4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

RajKaj Ref
5300207

